हिमाचल प्रदेश सरकार
''निर्वाचन विभाग''

प्रेस नोट

विधान सभा उप निर्वाचन–2009 – प्रमुख विशेषताएं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3–रोहड़ू तथा 36–जवाली विधान सभा उप–निर्वाचन–2009 के कार्यक्रम की घोषणा 5 अक्तूबर, 2009 को कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य में उक्त निर्वाचन हेतु प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:–

1 विधान सभा उप निर्वाचन कार्यक्रम:

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	14 अक्तूबर, 2009(बुधवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	21 अक्तूबर, 2009(बुधवार)
3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	22 अक्तूबर, 2009(वीरवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	24 अक्तूबर, 2009(शनिवार)
5. मतदान की तारीख	7 नवम्बर, 2009((शनिवार)
6. मतगणना की तारीख	10 नवम्बर, 2009(मंगलवार)
7. निर्वाचन सम्पन्नता की तारीख	16 नवम्बर, 2009(सोमवार)

2 विधान सभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निगं अधिकारी/ सहायक रिटर्निगं अधिकारी:

क्रम सं0	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं0 व नाम	रिटर्निगं अधिकारी	सहायक रिटर्निगं अधिकारी
1	2	3	3
1.	3–रोहड़ू	1. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), रोहड़ू	1. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), डोडरा क्वार 2. तहसीलदार, रोहड़ू 3. तहसीलदार, चिड़गांव 4 तहसीलदार, (निर्वाचन), शिमला
2.	36–जवाली	1. उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जवाली	1. तहसीलदार, फतेहपुर 2. तहसीलदार, जवाली 3. तहसीलदार, (निर्वाचन), धर्मशाला

3 विधान सभा उप निर्वाचन के लिए मतदाताः

3–रोहड़ू तथा 36–जवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (पूर्व सीमांकित) की फोटो मतदाता सूचियों को प्रथम जनवरी, 2009 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 31.07.2009 को अन्तिम प्रकाशन किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं0 व नाम	सामान्य मतदाता			सेवा अर्हता मतदाता			कुल मतदाता (सामान्य एवं सेवा अर्हता)		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
3–रोहड़ू	36257	33618	69875	160	61	221	36417	33679	70096
36–जवाली	37692	36367	74059	1088	393	1481	38780	36760	75540
कुल योग	73949	69985	143934	1248	454	1702	75197	70439	145636

4 इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने :

भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार उपरोक्त दोनो विधान सभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन में समस्त मतदान केन्द्रों पर इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVMs) प्रयुक्त की जायेंगी। उक्त निर्वाचनों हेतु इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन निर्वाचनों की निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने हेतु आवश्यक पग उठाये गये हैं।

5 नियन्त्रण कक्ष :

निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर निर्वाचन के सुचारू संचालनार्थ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर **0177–2622721** है।

6 मतदान कर्मियों की नियुक्तिः

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी कर्मी को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नानुसार नियुक्त नहीं किया जायेगा :–

1. जहां वह कार्यरत्त है,
2. जहां वह निवास करता है,
3. उसकी गृह विधान सभा क्षेत्र।

मतदान दलों की संरचना निर्वाचन आयोग द्वारा विहित यादृच्छिीकरण साफ्टवेयर (Randomization Software) द्वारा की जायंगी। उक्त साफ्टवेयर सम्बन्धित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रदाय किया जा रहा है। इसी बीच सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विभिन्न विभागों में कार्यरत्त कर्मियों की सूचियां प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

मतदान दलों की मानक संरचना के अनुरूप 1 पीठासीन अधिकारी + 3 मतदान कर्मी नियुक्त किये जायेंगे।

7 आदर्श आचार संहिता **(Model Code of Conduct):**

निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा उप निर्वाचन–2009 के कार्यक्रम की घोषणा 5 अक्तूबर, 2009 को किये जाने के परिणामस्वरूप इस राज्य के शिमला और कांगड़ा जिलों में आदर्श आचार संहिता तत्काल से लागू हो गई है। मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; और

(ख) (सिवाए सिविल कर्मचारियों के) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे; और

(ग) सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधाएं आदि देनें का कोई वचन नहीं देंगे; और

(घ) शासन सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए; आदि

8 फोटोयुक्त मतदाता सूचियां :

हिमाचल प्रदेश राज्य में विधान सभा उप निर्वाचन, 2009 के संचालनार्थ फोटोयुक्त मतदाता सूचियां प्रयुक्त होंगी। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम के साथ अन्य प्रविष्टियां यथा पितृत्व, आयु, लिंग तथा मतदाता का फोटो भी मुद्रित हैं।

9 मतदाताओं के पहचान पत्रः

आगामी विधान सभा उप निर्वाचन में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं उन्हें पहचान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10 निर्वाचन आयोग के विभिन्न निर्देश :

1. निर्वाचन संचालन प्रक्रिया के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किये हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
2. विज्ञापनों/ इश्तहारों तथा प्रर्दशन पट्ट (Banner) जिनकें द्वारा सरकार/ सतारूढ़ दल की उपलब्धियां दर्शाई गई हों उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
3. प्लास्टिक शीट के पोस्टर/ प्रर्दशन पट्ट (Banner) का प्रयोग न करने हेतु भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये हैं क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है।

अनिल खाची
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या 3–28/2009–ई0एल0एन0 दिनांकःशिमला–171009 अक्तूबर, 2009.

प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
2. प्रधान सचिव(गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
3. मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
4. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002,
5. निदेशक, सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002,
6. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र, शिमला–4.

} को व्यापक प्रचार हेतु।

7. जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त), शिमला/कांगडा स्थित धर्मशाला।
8. रिटर्निंग अफिसर (उप मण्डल अधिकारी), रोहड़ृ/ जवाली।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।